110/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 110/2016 अनवानी श्री धनराज पुत्र मुकंदलाल जाति अरोडा निवासी बडोपल रोड पीपल चौक के पास, वार्ड नं. 19, सूरतगढ बनाम तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11-02-2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री धनराज उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री हनुमान प्रसाद पटवारी उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धनराज ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2016 के द्वारा निम्न सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सूरतगढ़ से चाही थीः–

> 1. रविन्द्रकुमार पूनियां नाम का कर्मचारी तहसील कार्यालय मे किस सन व किस दिनांक से कार्यरत है।
> 2. उक्त कर्मचारी द्वारा दसवीं की परीक्षा कब(किस सन) मे उतीर्ण की गयी व परीक्ष्ज्ञा में बैठने की अनुमति श्रीमान जिला कलक्टर से ली गयी या नही व कब से कब तक ली गयी, की जानकारी व तहसील कार्यालय के हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 3. उक्त कर्मचारी द्वारा कक्षा बाहरवी की परीक्षा कब व किस सन में उतीर्ण की गयी। किस बोर्ड से परीक्षा उतीर्ण की गयी व किस दिनांक को की गयी परीक्षा केन्द्र का नाम
> 4– परीक्षा के समय उक्त कर्मचारी परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित था या तहसील कार्यालय में कार्यरत था की हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि व परीक्षा मे बैठने की अनुमति जिला कलक्टर से ली गयी या नही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि 45 दिन का समय व्यतीत हो जाने पर भी उसके द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं तहसीलदार सूरतगढ के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपने प्रतिवेदन सं0 5718 दिनांक 29.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु सं0 1 के अनुसार श्री रविन्द्रकुमार पूनियां दिनांक 26.10.1989 से सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। बिन्दु सं0 2 से 4 तक चाही गई सूचना किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितो से संबंधित है। व्यक्तिगत हितों से संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के निर्बधों में आती है। ऐसी प्रकृति की सूचनांए सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने से देय नही है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है जो निम्नानुसार हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु सं0 01 अनुसार श्री रविन्द्रकुमार पूनियां दिनांक 26.10.1989 से सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है।
>
> बिन्दु संख्या 02 से 04 तक आप द्वारा चाही गई सूचना किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों से संबंधित है। व्यक्तिगत हितों से संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 8(1)(जे) के निर्बन्धों में आती है। ऐसी प्रकृति की सूचनांए सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आने से देय नही है।
>
> अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिनियम के निर्बन्धो अन्तर्गत आने से देय नही है। अपील निराधार व काबिज खारिज है। अतः अपील खारिज करने की कृपा करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PT

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 की चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

जहां बिन्दु सं0 2 से 4 का संबंध है यह तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है और तृतीय पक्ष की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए तृतीय पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। उसे सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना प्रतीत नही होता है केवल धारा 8(1)(जे) के निर्बन्धो के अधीन सूचना रोकी गई है जो उचित प्रतीत नही होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तृतीय पक्ष को नोटिस जारी कर, सुनवाई कर उसके पश्चात उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के संबंध में विधिवत निर्णय किया जावे।

अतः उक्तानुसार बिन्दु संख्या 2 से 4 के संबंध में अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर